खण्ड 9, अंक 5
बुधवार, 28 ज्येष्ठ, शक संवत् 1925
(18 जून, 2003 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2003)

(खण्ड 9 में 9 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :

उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)

2003

मूल्य :

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	क
नारी निकेतन गृह, देहरादून की एक संवासिनी के सम्बन्ध में विपक्ष द्वारा दी गई नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ...	1–2
प्रश्नोत्तर	2–27
नारी निकेतन गृह, देहरादून की संवासिनी के प्रकरण पर राजस्व मंत्री का त्याग–पत्र	27–33

उपस्थिति

क्र0सं0	नाम
1.	श्री अजय भट्ट
2.	" अनिल नौटियाल
3.	डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4.	श्रीमती अमृता रावत
5.	श्री अरविन्द पाण्डे
6.	श्रीमती आशा नौटियाल
7.	डॉ0 इन्दिरा हृदयेश
8.	श्री उम्मेद सिंह मांजिला
9.	" काशी सिंह ऐरी
10.	" किशोर उपाध्याय
11.	" कैलाश शर्मा
12.	" कौल दास
13.	" गगन सिंह
14.	" गणेश प्रसाद गोदियाल
15.	" गोपाल सिंह राणा
16.	" गोविन्द लाल
17.	" गोविन्द सिंह कुंजवाल
18.	" जोत सिंह
19.	" तसलीम अहमद
20.	" तिलक राज बेहड़
21.	" तेजपाल सिंह रावत
22.	" दिनेश अग्रवाल
23.	" नरेन्द्र सिंह भण्डारी
24.	" नव प्रभात
25.	" नारायण पाल
26.	" नारायण राम आर्य
27.	" नारायण सिंह जंतवाल
28.	काजी निजामुद्दीन
29.	श्री प्रकाश पन्त
30.	कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
31.	डॉ0 प्रताप बिष्ट
32.	श्री प्रदीप टम्टा
33.	" प्रीतम सिंह
34.	" प्रीतम सिंह पंवार
35	श्री प्रेमानन्द महाजन
36.	" फूल सिंह बिष्ट
37.	" बलबीर सिंह नेगी
38.	" विजयपाल सिंह सजवाण
39.	" भगत सिंह कोश्यारी
40.	" मदन कौशिक
41.	" मन्त्री प्रसाद नैथानी
42.	" महेन्द्र भट्ट
43.	" महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)
44.	" मातबर सिंह कण्डारी
45.	" माल चन्द्र
46.	चौ0 यशवीर सिंह
47.	श्री रणजीत सिंह
48.	" रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
49.	" राम प्रसाद टम्टा
50.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल
51.	श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
52.	" शूरवीर सिंह
53.	डॉ0शैलेन्द्र मोहन सिंघल
54.	श्री शहजाद
55.	" साधू राम
56.	" सुबोध उनियाल
57.	" सुन्दरलाल मन्द्रवाल
58.	" सुरेन्द्र सिंह नेगी
59.	" सुरेश चन्द जैन
60.	डॉ0 हरक सिंह रावत
61.	श्री हरबंस कपूर
62.	" हरभजन सिंह चीमा
63.	" हरिदास
64.	" हरीश चन्द्र दुर्गापाल
65.	" हीरा सिंह बिष्ट
66.	" हेमेश खर्कवाल
67.	" त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, दिनांक 18 जून, 2003

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

नारी निकेतन गृह, देहरादून की एक संवासिनी के सम्बन्ध में विपक्ष द्वारा दी गई नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी के पीठासीन होने से पहले ही वेल में आ गये और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिये : देवभूमि का अपमान नहीं सहेंगे–नहीं सहेंगे, व्यभिचारी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, नारी का अपमान नहीं सहेंगे–नहीं सहेंगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 311 के अन्तर्गत नारी निकेतन गृह, देहरादून की एक संवासिनी के सम्बन्ध में श्री काशी सिंह ऐरी, डा0 नारायण सिंह जंतवाल, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्रीमती विजय बडथ्वाल, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री अनिल नौटियाल, श्री हरभजन सिंह चीमा, श्री प्रकाश पंत, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री अजय भट्ट, श्री मदन कौशिक, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत तथा श्री हरबंस कपूर जी की दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। कल यह प्रकरण सदन उठने से पूर्व मेरे संज्ञान में आया था। घटना की गम्भीरता को देखते हुए मैंने इस सदन के पाँच सदस्यों के एक दल से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा है। जाँच दल की रिपोर्ट आने दीजिए.....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, आपने बड़ी महती कृपा की इतना महत्वपूर्ण यह विषय है जिस पर मेरे जैसे व्यक्ति को बोलने में भी कठिनाई आ रही है। यह घटना कमर के नीचे प्रहार करने के बराबर है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह ऐसा विषय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कल यह विषय मेरे संज्ञान में आया था। मैंने इस सदन के पाँच सदस्यों के एक दल से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा है। जाँच दल की रिपोर्ट आने दीजिए। (घोर व्यवधान) माननीय सदस्यगण कृपया आसन ग्रहण करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आपने इस विषय की महत्ता को समझा है, इसकी गम्भीरता को समझा है, आपने हमारी बात सुनी, सरकार में तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। आपने दल गठित कर दिया और जाँच के लिए भेजा है। वह दल अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। जब तक वह अपनी रिपोर्ट न दे दे तब तक सदन की कार्यवाही स्थगित रखें। मान्यवर, मैं बहुत लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूँ। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं यही कह रहा हूँ, जब आप आज्ञा देंगे तब ही मैं बोलूंगा।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य वेल में आ गये और नारे लगाने लगे) (व्यभिचारियों की यह सरकार नहीं चलेगी, नारी अपमान नहीं सहेंगे, देवभूमि का अपमान नहीं सहेंगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करें, जाँच आ जाने दीजिए।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वैल में बैठकर नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

सदन की कार्यवाही 12:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

[मार्शल, विधानसभा– ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन का स्थगन 1:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।]

[मार्शल, विधान सभा– ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन का स्थगन 1:30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।]

[मार्शल, विधान सभा– ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन का स्थगन 2:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।]

[मार्शल, विधान सभा– ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन का स्थगन 3:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।]

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य के किसानों को सस्ती दरों पर विद्युत आपूर्ति कराने की योजना

**1–श्री नारायण पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में किसानों की बिजली समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हाँ, तो वह क्या है ?

क्या राज्य के किसानों को सस्ती दरों पर विद्युत आपूर्ति कराये जाने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो वह क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

कोई पृथक नीति निर्धारित नहीं है परन्तु वर्तमान में किसानों को विद्युत आपूर्ति औसत विद्युत बिक्री मूल्य से कम दरों पर की जा रही है।

विद्युत सुधार अधिनियम के प्राविधान अनुसार अब विद्युत दरों का निर्धारण उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

वार्षिक वित्तीय घाटे की भरपाई हेतु केन्द्र सरकार से सहायता की माँग

**2–काजी निजामुद्दीन–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि क्या राज्य सरकार द्वारा वार्षिक वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार से सहायता की माँग की गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार विशेष सहायता प्रदान कर रहीं है ? यदि हाँ, तो कितनी और कब तक ?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी हाँ।

केन्द्र सरकार वार्षिक वित्तीय घाटे के लिए कोई सहायता नहीं प्रदान कर रही है परन्तु राज्य की वार्षिक योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2002–2003 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में रु0 194.82 करोड़ व विशेष योजना सहायता के रूप में रु0 250.00 करोड़ की सहायता दी गई है।

वर्ष 2003–2004 में भी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में रु0 200.00 करोड़ तथा विशेष योजना सहायता के रूप में रु0 250.00 करोड़ पर सैद्धान्तिक सहमति दी गई है।

तारांकित प्रश्न

राज्य में किसानों के कब्जे वाली वर्ग–4 की भूमि का विनियमितीकरण

*1–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में किसानों के कब्जे वाली वर्ग–4 की भूमि के विनियमितीकरण के लिए सरकार द्वारा कोई कमेटी/समिति का गठन किया गया है ?

यदि हाँ, तो समिति द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री (डॉ0 हरक सिंह रावत)–

जी, हाँ।

समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

समस्त रवांई एवं जौनपुर क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने की माँग

*2–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार समस्त रवांई एवं जौनपुर क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम प्रसाद टम्टा)–

उत्तरांचल के जनपद टिहरी के विकास खण्ड जौनपुर क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु दिनांक 21 नवम्बर, 2001 को विधान सभा ने संकल्प पारित किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342(2) में किसी जनजाति अथवा जनजाति समुदाय या इस जाति के भू–भाग को अथवा जनजाति समूह को जनजाति घोषित करने का अधिकार संसद में निहित है। अतः संकल्प भारत सरकार को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2001 को सन्दर्भित किया गया है।

प्रकरण भारत सरकार से सम्बन्धित है।

प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के पट्टे धारकों को ग्राम समाज की श्रेणी–3 की भूमि पर मालिकाना हक की माँग

*3–श्री हरिदास–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अनु0 जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के भूमिहिनों को लगभग 1970–72 में जो ग्राम समाज की बंजर भूमि श्रेणी–3 कृषि भूमि के पट्टे आवंटित किये गये थे, उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर दिये गये हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में शासनादेश जारी करके पट्टे धारकों को उक्त भूमि का मालिकाना हक दिलाकर भूमिधर बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जनपद हरिद्वार में अनु0जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के भूमिहीनों को लगभग 1970–72 में ग्राम समाज की बंजर भूमि के पट्टे आवंटित नहीं किये गये थे, वरन् वर्ष 1975–76 से सार्वजनिक उपयोग की भूमि का आवंटन वर्ग–3 आसामी ग्राम समाज के रूप में किया गया था। आसामी के पट्टों की अवधि 5 वर्ष होती है, इसलिए पट्टा अवधि समाप्त होने के उपरान्त ही पट्टे स्वतः निरस्त हो गये। ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 में निहित भूमि के पट्टे श्रेणी–3 के अन्तर्गत किये जाते हैं, उस पर स्वामित्व के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। यदि आवेदन प्राप्त होते हैं तो भूमि प्रबन्धक समिति उचित समझे तो पुनः इस भूमि को पात्र व्यक्तियों में श्रेणी–3 के रूप में पुनः आवंटित कर सकती है।

प्रदेश में विकलांगों के पुनर्वास की योजना

*4–श्री सुरेश चन्द जैन–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विकलांगों के पुनर्वास के लिए सरकार की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जी हाँ।

प्रदेश में विकलांग जनों के पुनर्वास हेतु निम्न योजनायें संचालित की जा रही है:–

1. भरण–पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन) :– इस योजनान्तर्गत निराश्रित, साधनहीन, शारीरिक रूप से अक्षम, मूक बधिर, दृष्टिहीन तथा मानसिक रूप से मंदित विकलांग जनों को, जिनकी मासिक आय रुपये एक हजार तक है को, रुपये 125 प्रतिमाह की दर से भरण पोषण अनुदान प्रदान किया जाता है।

2. दुकान निर्माण योजना :– विकलांग जनों के पुनर्वास हेतु इस योजनान्तर्गत विकलांग जनों को स्वरोजगार हेतु रुपये 20,000/– तक ऋण दिया जाता है। जिसमें से रुपये 15,000/– 4% सूक्ष्म ब्याज दर पर तथा शेष रुपये 5,000/– अनुदान के रूप में दिया जाता है।

3. राजकीय विकलांग कर्मशाला एवं उत्पादन केन्द्र :– प्रदेश में विकलांग जनों को स्वावलम्बी बनाने के लिए चमियाला (टिहरी गढ़वाल), हल्द्वानी (नैनीताल) तथा पिथौरागढ़ मुख्यालय में 3 राजकीय विकलांग कर्मशाला एवं उत्पादन केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र में चकबन्दी

*5–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत खटीमा सितारगंज क्षेत्र में सरकार चकबन्दी करने जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार चकबन्दी से पूर्व भूमि बन्दोबस्त कराना सुनिश्चित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

तहसील सितारगंज में चकबन्दी कराने का निर्णय नहीं लिया गया है, जबकि तहसील खटीमा के 115 ग्रामों में वर्ष 1986 में चकबन्दी कराने का निर्णय लिया गया था,

जिनमें से 4 ग्रामों में ही चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो पायी है। शेष 111 ग्रामों में जनजाति (थारू) एवं गैर जनजाति के व्यक्तियों के मध्य भूमि विवाद होने के कारण चकबन्दी कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। शेष 111 ग्रामों में से 26 ग्राम नवसृजित जनपद चम्पावत में आ गये हैं।

चकबन्दी प्रक्रिया में अभिलेख निर्माण/रिकार्ड आपरेशन की कार्यवाही भी समाहित होती है। इसलिए पृथक से भूमि बन्दोबस्त किये जाने का निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत लम्बित प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण

*6–श्री अजय भट्ट–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के विभिन्न जिलों में पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत कितने प्रार्थना–पत्र लम्बित हैं ? इनका जिलेवार विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण न होने के क्या कारण हैं तथा लाभार्थियों को राष्ट्रीय पारिवारिक योजना में दी जाने वाली धनराशि को कब तक दे दिया जायेगा।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

उत्तरांचल के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत कुल 4266 आवेदन–पत्र लम्बित हैं, जिनका जिलेवार विवरण निम्न है :–

जनपद का नाम	लम्बित आवेदन–पत्रों की संख्या
1. पौड़ी गढ़वाल	252
2. टिहरी गढ़वाल	80
3. चमोली	340
4. रूद्रप्रयाग	200
5. उत्तरकाशी	250
6. देहरादून	800
7. हरिद्वार	300
8. नैनीताल	383
9. ऊधमसिंह नगर	318
10. अल्मोड़ा	790
11. पिथौरागढ़	140
12. बागेश्वर	193
13. चम्पावत	220
योग	4266

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत शतप्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा दी जाती है। प्रदेश में आवेदन–पत्रों के सापेक्ष भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण लम्बित प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण नहीं हो सका। वित्तीय वर्ष 2003–04 में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

प्रदेश में चकबन्दी हेतु चयनित जिलों/गाँवों की जानकारी

*7–श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी एवं श्री मदन कौशिक–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने उत्तरांचल में चकबन्दी हेतु कोई योजना बनायी है ? क्या सरकार द्वारा इस हेतु कुछ गाँवों का चयन कर लिया गया है ? यदि हाँ, तो किस–किस जिले में ? यदि नही, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जनपद ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार में पूर्व से ही चकबन्दी चल रही है। हरिद्वार जनपद की तहसील रुड़की एवं लक्सर के 202 गाँवों में चकबन्दी कराने के आदेश उत्तरांचल द्वारा किये गये हैं।

निदेश संख्या–31 के अन्तर्गत स्थगित अतारांकित प्रश्न

जनपद टिहरी के भिलंगना में बाल गंगा व धर्म गंगा नदियों पर तटबंध बनाने की माँग

1–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में बाल गंगा व धर्म गंगा नदियों के कारण प्रतिवर्ष कितनी कृषि भूमि का कटाव हो रहा है ? क्या सरकार जनहित में उक्त नदी पर तटबन्ध बनाये जाने पर विचार कर रही है। यदि हाँ, तो उक्त नदी पर तटबंध बनाये जाने का निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं लघु सिंचाई मंत्री (श्री शूरवीर सिंह सजवाण)–

विकास खण्ड भिलंगना में अतिवृष्टि एवं बादल फटने के कारण कृषि भूमि का नुकसान हुआ था, जिसकी सुरक्षा हेतु रु0 45.79 लाख की 6 योजनाएं बनाई गई हैं तथा धर्म गंगा नदी पर 450 मी0 लम्बाई में दीवार एवं उसके आगे दो कतारों में $1.5 \times 1.5 \times 1$ मी0 साईज के ब्लाक डाले जाने का प्राविधान है। बाल गंगा नदी पर भी 250 मी0 लम्बाई में दीवार बनाने का प्राविधान है। इन कार्यों की कुल लागत रु0 77.00 लाख है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के उपरान्त शीघ्र तटबन्ध बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में छोटी प्रशासनिक इकाईयाँ बनाने हेतु अध्ययन समिति का गठन एवं रानीखेत को जिला बनाने की माँग

1–श्री अजय भट्ट–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में उत्तरांचल में छोटी प्रशासनिक इकाईयाँ बनाने हेतु शासन स्तर पर कोई अध्ययन समिति अथवा कमेटी का गठन किया गया है।

यदि हाँ, तो क्या उसमें रानीखेत को जिला बनाने हेतु सुझाव को सम्मिलित किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जी हाँ।

अध्ययन समिति का गठन किया गया है।

समिति की रिपोर्ट आने पर स्थिति स्पष्ट होगी।

जनपद पिथौरागढ़ के गोबराड़ी नहर को अन्य स्रोत से जोड़ने की माँग

2–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ को गोबराड़ी नहर स्रोत में पानी कम होने से सिंचाई नहीं हो पा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या नहर को अन्य स्रोत से जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ। स्रोत में माह मई–जून में कुछ पानी कम हो जाता है परन्तु 15 जून के बाद मानसूनी वर्षा हो जाने पर स्रोत में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय मार्ग पर अवैध भूमि की खरीद फरोक्त से राजस्व हानि

3–श्री हरिदास–

क्या राजस्व मंत्री भिज्ञ है कि जनपद हरिद्वार में एन0एच0–58 (दिल्ली हरिद्वार मार्ग) पर कृषि योग्य सिंचित भूमि को बाहरी भू–माफियाओं द्वारा प्लाट बेचने व हेरा–फेरी से कृषि भूमि को आबादी में बदलने के कारण सरकार को स्टाम्प चोरी से राजस्व की भारी क्षति हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसे रोकने हेतु कोई नीति बनाने जा रही है?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जनपद हरिद्वार में दिल्ली हरिद्वार मार्ग एन0एच0–58 पर कृषि योग्य सिंचित भूमि नहीं है। कृषि योग्य भूमि आवासीय प्लाट विक्रय की स्थिति में आवासीय दर से मूल्यांकन कर स्टाम्प शुल्क वसूल किया जाता है। प्रत्येक संक्रमणीय भूमिधर को वैधानिक अनुमति प्राप्त कर अपनी भूमि किसी भी रूप में प्रयोग करने का अधिकार है। जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करके ही कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि योग्य भूमि में बदलते हैं। जनपद में सिंचित भूमि को आबादी में बदलने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

जनपद हरिद्वार में माह फरवरी, 2003 का बी0पी0एल0 योजना का खाद्य, कार्ड धारकों को उपलब्ध कराने की माँग

4–श्री हरिदास–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में माह फरवरी, 2003 का बी0पी0एल0 योजना का खाद्य राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध नहीं हुआ ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार माह फरवरी, 2003 का खाद्य राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार हेतु माह फरवरी, 2003 के लिए चावल का आवंटन 853 मी0टन तथा गेहूँ का आवंटन 1355 मी0टन था जिसके सापेक्ष जनपद में स्टेटपूल से चावल का शत प्रतिशत वितरण कर दिया गया है जबकि भारतीय खाद्य निगम से मात्र 78 मी0टन गेहूँ प्राप्त होने के कारण शेष 774 मी0टन गेहूँ का वितरण राशन कार्ड धारकों को नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार द्वारा माह फरवरी, 2003 के अवशेष गेहूँ के उठान की तिथियाँ बढ़ाने का अनुरोध भारतीय खाद्य निगम से किया गया है। अनुमति प्राप्त होते ही अवशेष गेहूँ राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

भारतीय खाद्य निगम से अनुमति प्राप्त हो जाने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में अन्नपूर्णा योजना के कार्ड धारकों को शेष राशन उपलब्ध कराने की माँग

5–श्री हरिदास–

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरिद्वार में वर्ष 2002 से माह मई, 2003 तक केवल 5 माह का अन्नपूर्णा योजना का खाद्य राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध हुआ है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार अन्नपूर्णा योजना के कार्ड धारकों को शेष रुका हुआ खाद्य राशन उपलब्ध करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जी हाँ।

माह अप्रैल, 2002 से अक्टूबर, 2002 तक 07 माह का खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्न उपलब्ध न रहने के कारण वितरित नहीं किया जा सका।

जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा अब स्टेटपूल से शेष 07 माह के खाद्यान्न वितरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

जून, 2003 के अन्त तक करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्च, 2003 में आपदा प्रबन्धन मद में विधान सभावार अवमुक्त धनराशि की जानकारी

6—श्री प्रेमानन्द महाजन—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मार्च, 2003 में आपदा प्रबन्धन मद में प्रत्येक विधान सभावार कितनी—2 धनराशि अवमुक्त की गयी है ?

क्या राशि वितरण में कोई मानक निर्धारित था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत—

मार्च, 2003 में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों यथा—यातायात, प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल एवं ऊर्जा विभाग की सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु आपदा राहत कोष से धनराशि विधान सभावार अवमुक्त नहीं की गई है। जनपदवार धनराशि अवमुक्त की गई है। मार्च, 2003 में अवमुक्त की गई धनराशि का जनपदवार वितरण निम्नानुसार है :—

पौड़ी गढ़वाल	रु0 5,66,92,000.00
चमोली	रु0 48,19,000.00
उत्तरकाशी	रु0 5,56,05,000.00
ऊधमसिंह नगर	रु0 9,08,00,000.00
अल्मोड़ा	रु0 3,41,75,000.00
हरिद्वार	रु0 73,68,000.00
नैनीताल	रु0 3,97,03,000.00
टिहरी गढ़वाल	रु0 7,00,02,000.00
चम्पावत	रु0 2,60,87,500.00
रुद्रप्रयाग	रु0 1,35,39,000.00
देहरादून	रु0 4,01,56,000.00

आपदा राहत कोष की धनराशि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाती है। विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं।

7—श्री प्रेमानन्द महाजन—

प्रथम शुक्रवार के अतारांकित 25 में स्थानान्तरण के फलस्वरूप उत्तरित।

हरिद्वार में माह फरवरी व अप्रैल का अन्तोदय योजना का खाद्य, राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध कराने की माँग

8–श्री हरिदास–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में माह फरवरी व अप्रैल, 2003 का अन्तोदय योजना का खाद्य राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध नहीं हुआ है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार माह अप्रैल का खाद्य राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

अन्तोदय योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार का माह फरवरी एवं अप्रैल, 2003 का मासिक आवंटन 248 मी0टन चावल एवं 106 मी0टन गेहूँ है, जिसके सापेक्ष उक्त दोनों माहों में जनपद को स्टेटपूल के चावल का वितरण आवंटन के अनुरूप शत प्रतिशत कर दिया गया है। जबकि माह फरवरी, 2003 में एफ0सी0आई0 से रिलीज आर्डर अति विलम्ब से प्राप्त होने तथा माह अप्रैल, 2003 में रिलीज आर्डर प्राप्त न होने के कारण जनपद में राशन कार्ड धारकों को गेहूँ उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

राज्य सरकार द्वारा माह फरवरी, 2003 के अवशेष गेहूँ के उठान की तिथियाँ बढ़ाने का अनुरोध भारतीय खाद्य निगम से किया गया है। अनुमति प्राप्त होते ही अवशेष गेहूँ राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

भारतीय खाद्य निगम से अनुमति प्राप्त हो जाने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2001–2002 में आपदा प्रबन्धन मद से वितरित धनराशि का जिलेवार विवरण

9–श्री अजय भट्ट–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2001–2002 में आपदा प्रबन्धन मद से कुल कितनी धनराशि वितरित की गयी ?

इसका जिलेवार विवरण जिन–जिन मदों में धनराशि अवमुक्त की गयी, क्या है?

क्या वर्तमान में निर्माण कार्य निविदाओं पर न करवाकर, विभागों द्वारा करवाने के निर्देश सरकार द्वारा दिये गये हैं ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

वर्ष 2001–02 में आपदा राहत कोष से जनपदों को कुल 15,62,98,941/– की धनराशि अवमुक्त की गई है।

आहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान एवं विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत कार्यों हेतु अवमुक्त की गई धनराशि का जनपदवार विवरण निम्नानुसार है :–

नैनीताल	रु0 50,00,000.00
चम्पावत	रु0 1,19,19,000.00
ऊधमसिंह नगर	रु0 1,03,30,000.00
बागेश्वर	रु0 1,08,96,000.00
अल्मोड़ा	रु0 2,04,92,900.00
पिथौरागढ़	रु0 79,20,000.00
चमोली	रु0 50,00,000.00
रुद्रप्रयाग	रु0 87,91,000.00
टिहरी गढ़वाल	रु0 3,47,62,000.00
पौड़ी गढ़वाल	रु0 50,00,000.00
उत्तरकाशी	रु0 1,63,96,700.00
हरिद्वार	रु0 50,00,000.00
देहरादून	रु0 1,47,91,341.00

वर्ष 2002–03 में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग एवं प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य इतनी कम अवधि में पूरा करना पड़े कि टेण्डर प्रक्रिया से उस अवधि में निर्माण कार्य सम्भव नहीं हो सकता है, तो बिना निविदा से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त श्रेणी के कार्यों के लिए ही वर्क आर्डर की सीमा को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI के नियम 352 के संलग्नक–7 के नियम की रू0 10,000/– की सीमा को बढ़ाकर रु0 50,000/– तक की सीमा तक बिना दर प्राप्त किये हुए एवं रु0 50,001/– से अधिक परन्तु रु0 2,00,000/– से अनधिक राशि के कार्यों हेतु बिना निविदा के किन्तु पंजीकृत ठेकेदारों से दरें प्राप्त कर न्यूनतम दर पर कार्य कराया जाने का प्रावधान किया गया है।

जनपद हरिद्वार, रुड़की के घाड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की माँग

10–श्री सुरेश चन्द जैन–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हरिद्वार के रुड़की शहर के घाड़ क्षेत्र में कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

घाड़ क्षेत्र की सिंचाई हेतु नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की एक योजना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र स्थित बैरागढ़ गाँव हेतु बाढ़ नियंत्रण की योजना

11—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर स्थित ग्राम बैरागढ़ तीन ओर से नदियों से घिरा होने के कारण प्रतिवर्ष बाढ़ग्रस्त हो जाता है ?

क्या इस संकट के निवारण हेतु शासन स्तर पर कोई योजना तैयार की जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक योजना तैयार हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

वर्तमान में ग्राम बैरागढ़ के बाढ़ ग्रस्त होने की कोई सूचना नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

बाढ़ ग्रस्त होने की यदि कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो बाढ़ सुरक्षा की योजना तैयार की जायेगी।

प्रदेश में 13 मई, 2003 को आये तूफान से प्रभावित परिवारों को वितरित राहत सहायता की जानकारी

12—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 13 मई, 2003 को आये तूफान से उत्तरांचल में जनपदवार कितनी जन—धन की हानि हुई ?

क्या सरकार द्वारा दैवी आपदा पीड़ित परिवारों को जनपदवार कितनी राहत किस रूप में पहुँचायी गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत—

दिनांक 13 मई, 2003 को आये तूफान से जनपद पिथौरागढ़ में 1 जनहाभि, जनपद ऊधमसिंह नगर में 2 पशुहानि, जनपद टिहरी गढ़वाल में 2 मकान पूर्ण रूप से क्षंतिग्रस्त हुए, जनपद चम्पावत में 1 मकान एवं जनपद बागेश्वर में 3 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुये, जनपद देहरादून में 1 जनहानि तथा 1 व्यक्ति घायल हुआ है। जनपद अल्मोड़ा में 2 आवासीय भवन एवं 6 प्राथमिक विद्यालय क्षतिग्रस्त हुये तथा 1 जनहानि हुई है। उक्त जनपदों में लगभग रु0 4.87 लाख की अनुमानित क्षति हुई है।

दिनांक 13–5–2003 को आये तूफान से प्रभावित परिवारों में जनपदवार निम्नानुसार राहत सहायता अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी गयी है :–

पिथौरागढ़	रु0 50,000.00
ऊधमसिंह नगर	रु0 3,000.00
अल्मोड़ा	रु0 50,000.00
टिहरी गढ़वाल	रु0 20,000.00
चम्पावत	रु0 2,000.00
बागेश्वर	रु0 3,600.00
देहरादून	रु0 50,000.00

प्रदेश में गत वर्ष पटवारियों की पदोन्नति में अपनाये गये मानक

13–श्री कैलाश शर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले एक वर्ष में उत्तरांचल के कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डलों में कितने पटवारियों की पदोन्नति की गई हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पदोन्नति करते समय क्या मानक अपनाये गये ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

पिछले एक वर्ष में कुमाऊँ मण्डल में 34 एवं गढ़वाल मण्डल में 50 पटवारियों की पदोन्नति की गयी है।

पदोन्नति करते समय अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता एवं आरक्षण रोस्टर का मानक अपनाया गया है।

प्रदेश में स्वीकृत नये आवेदकों को विधवा, वृद्धा व विकलांगता पेंशन के भुगतान की माँग

14–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि नये आवेदकों को विधवा पेंशन/वृद्धा पेंशन/विकलांग पेंशन नहीं दी जा रही है ?

यदि हाँ, तो उत्तरांचल के विभिन्न जिलों में कितने फार्म स्वीकृत हो कर पड़े हैं जिन पर पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ?

इनको कब तक पेंशन उपलब्ध करायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जी हाँ।

उत्तरांचल के विभिन्न जिलों में 4438 विधवा पेंशन, 2875 वृद्धावस्था पेंशन एवं 2734 विकलांग पेंशन के आवेदन–पत्र लम्बित हैं।

बजट उपलब्ध होने पर ही इन लम्बित आवेदकों को पेंशन उपलब्ध कराई जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनाथालयों तथा वृद्ध आश्रमों की संख्या

15–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने अनाथालय तथा वृद्ध आश्रम कहाँ–2 पर स्थित हैं ?

क्या सरकार ऊधमसिंह नगर में अनाथालय तथा वृद्ध आश्रम खोलने पर विचार कर रही हैं ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

प्रदेश में वर्तमान में विभाग द्वारा कोई अनाथालय संचालित नहीं किया जा रहा है। विभाग द्वारा देवरखडोरा (जनपद चमोली) में एक वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह संचालित किया जा रहा है।

जनपद ऊधमसिंह नगर में अनाथालय एवं वृद्ध आश्रम खोलने हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

पर्वतीय जनपदों में वर्ष 1989 में कार्यरत संग्रह अमीनों व संग्रह सहायकों के नियमितीकरण की माँग

16–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के पर्वतीय जनपदों में वर्ष, 1989 में कार्यरत राजस्व संग्रह अमीनों एवं संग्रह सहायकों को नियमित किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पद सृजित न होने के कारण नियमित किया जाना सम्भव नहीं है।

17–डॉ0 नारायण सिंह जंतवाल–

द्वितीय सोमवार के अतारांकित 13 में स्थानान्तरित।

प्रदेश में छात्रवृत्ति की स्वीकृति हेतु विधायकों द्वारा प्रदत्त जाति व आय प्रमाण–पत्र की मान्यता की जानकारी

18–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु विधायकों के द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र/आय प्रमाण–पत्र मान्य है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

उत्तरांचल में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु विधायकों द्वारा प्रदत्त जाति एवं आय प्रमाण–पत्र मान्य हैं। किन्तु अन्य पिछड़े वर्गों के कक्षा–9 से ऊपर की कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण–पत्र ही मान्य हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के अगुण्डा व कोटी के बीच धर्मगंगा नदी पर क्षतिग्रस्त पुल के जीर्णोद्धार की माँग

19–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में अगुण्डा व कोटी के बीच धर्मगंगा नदी पर क्षतिग्रस्त पुल का जीर्णोद्धार कब तक करा दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील घनसाली में बूढाकेदार क्षेत्रांतर्गत अगुण्डा व कोटी के बीच वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लकड़ी का पुल निर्मित था, जो दिनांक 10/11 अगस्त, 2002 को बादल फटने के कारण हुई अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुआ है। उक्त पुल की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु रु0 1.43 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।

रुद्रप्रयाग में वृद्धावस्था/निराश्रित पेंशनरों के भुगतान की जानकारी

20–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में वृद्धावस्था/निराश्रित पेंशनरों का भुगतान समय पर हो रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

रुद्रप्रयाग की उप तहसील जखोली को पूर्ण तहसील का दर्जा प्रदान करने की माँग

21—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उप तहसील जखोली, रुद्रप्रयाग को सरकार कब तक पूर्ण तहसील का दर्जा प्रदान कर देगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत—

उप तहसील जखोली, तहसील हेतु निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती है। चुनाव आयोग, भारत सरकार द्वारा लोक सभा एवं विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन पूर्ण होने तक नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर रोक लगा रखी है।

प्रदेश में सीलिंग प्राविधान के तहत अनु0 जाति, जनजाति व खेतीहर मजदूरों को जिलेवार भूमि के आवंटन की जानकारी

22—श्री प्रेमानन्द महाजन—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जिलेवार सीलिंग के प्राविधान के तहत कितनी एकड़ भूमि उपलब्ध हुई है ?

जिलेवार उपलब्ध भूमि में से कितनी भूमि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व खेतीहर मजदूरों को आवंटित की गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत—

प्रदेश में जनपद बागेश्वर, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं चम्पावत में सीलिंग के प्राविधान के तहत कोई भी अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। जनपद गढ़वाल में 695 एकड़ जनपद ऊधमसिंह नगर में 3521.09 एकड़, जनपद पिथौरागढ़ में 42.8 एकड़, जनपद हरिद्वार में 1844 एकड़, जनपद देहरादून में 1150.35 एकड़, जनपद अल्मोड़ा में 32.09 एकड़ एवं जनपद नैनीताल में 747.40 एकड़ भूमि सीलिंग के प्राविधान के तहत उपलब्ध हुई है।

पौड़ी में 9.93, ऊधमसिंह नगर में 3521.09, पिथौरागढ़ में 42.8, हरिद्वार में 1560.45, देहरादून में 234.22, अल्मोड़ा में 32.09 एवं नैनीताल में 254.67 एकड़ भूमि आवंटित की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लम्बित विधवा पेंशन प्रार्थना—पत्रों का जिलेवार विवरण एवं उनका निपटारा

23—श्री अजय भट्ट—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के विभिन्न जिलों में विधवा पेंशन के कितने प्रार्थना—पत्र आज तक लम्बित है ?

इनका जिलेवार विवरण क्या है ?

इन प्रार्थना–पत्रों का पूर्णतः कब तक निपटा दिया जायेगा ?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

उत्तरांचल के विभिन्न जिलों में विधवा पेंशन के कुल 4438 प्रार्थना–पत्र लम्बित हैं।

	जनपद का नाम	लम्बित प्रार्थना–पत्र
1.	देहरादून	—
2.	चमोली	200
3.	रुद्रप्रयाग	480
4.	उत्तरकाशी	—
5.	पौड़ी	262
6.	टिहरी	397
7.	हरिद्वार	700
8.	नैनीताल	850
9.	अल्मोड़ा	1400
10.	बागेश्वर	149
11.	पिथौरागढ़	—
12.	चम्पावत	—
13.	ऊधमसिंह नगर	—
	योग	4438

बजट उपलब्ध होने पर ही इन प्रार्थना–पत्रों पर कार्यवाही की जा सकेगी।

केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न मदों में प्राप्त धनराशि के खर्च का ब्यौरा

24–श्री अजय भट्ट–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न मदों में अब तक विभाग को कितनी धनराशि प्राप्त हुई हैं ? इसका आज तक खर्च का ब्यौरा क्या है ?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न मदों में विभाग को अब तक प्राप्त धनराशि एवं व्यय का विवरण संलग्न है।

उत्तरांचल निर्माण के बाद भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के विपरीत व्यय धनराशि का योजनावार विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2000–01		वर्ष 2001–02		वर्ष 2002–03		अभ्युक्ति
		प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कक्षा 1 से 10 तक छात्रवृत्ति (बी0सी0)	—	—	73.18	73.18	—	—	वर्ष 2000–01 तथा वर्ष 2002–03 में धनराशि प्राप्त नहीं हुई।
2.	पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	—	—	25.92	25.92	—	—	वर्ष 2000–01 तथा वर्ष 2002–03 में धनराशि प्राप्त नहीं हुई।
3.	अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति	—	—	2.21	2.21	7.79	7.79	वर्ष 2000–01 में धनराशि प्राप्त नहीं हुई। धनराशि मार्च 2003 के बाद प्राप्त हुई।
4.	अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	—	—	411.74	411.74	—	—	वर्ष 2000–01 तथा वर्ष 2002–03 में धनराशि प्राप्त नहीं हुई।
5.	अत्याचार उत्पीड़न	12.43	12.43	45.88	45.88	22.42	22.42	—
6.	विशेष केन्द्रीय सहायता (जनजाति उपयोजना)	58.02	58.02	92.91	92.91	92.91	74.33	वर्ष 2002–03 में प्राप्त द्वितीय किश्त की धनराशि रु0 18.58 लाख के व्यय की कार्यवाही की जा रही है।
7.	धारा 275 (1) के अन्तर्गत सहायता	46.94	46.94	78.05	78.05	78.00	78.00	—
8.	अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	—	—	100.70	100.70	—	—	वर्ष 2000–01 तथा वर्ष 2002–03 में धनराशि प्राप्त नहीं हुई।
9.	आदिम जनजाति विकास योजना	—	—	100	100	—	—	वर्ष 2000–01 तथा वर्ष 2002–03 में धनराशि प्राप्त नहीं हुई।
10.	अनुसूचित जाति स्पेशल कम्पोनेंट प्लान	500	—	433..21	368.61	174.57	521.10	विगत 3 वर्षों में प्राप्त कुल रुपये 1107.78 लाख की धनराशि के सापेक्ष कुल व्यय रु0 889.71 लाख हुआ एवं रु0 218.07 लाख व्यय हेतु अवशेष है।
11.	एन0एस0ए0पी0	672.11	672.11	640.86	640.86	518.00	518.00	—

राम प्रसाद टम्टा
मंत्री, समाज कल्याण

राज्य निर्माण के बाद दलित एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु योजनायें

25—श्री अजय भट्ट—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए उत्तरांचल निर्माण के बाद सरकार द्वारा कोई योजना बनायी है?

यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद टम्टा—

जी हाँ।

प्रदेश में शिल्पकार वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु शिल्पी ग्राम योजना के नाम से नयी योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तरांचल की विलुप्त हो रही पैतृक शिल्पकारी योजना को पुनर्जीवित करने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर शिल्प ग्रामों का चयन किया जा रहा है। प्रथम चरण में शिल्प ग्रामों का सर्वेक्षण कर चयन किया जायेगा। तदोपरान्त विभिन्न प्रकार के शिल्पी तथा बढ़ईगिरी, ऊन, तॉम्र, लौहारगिरी, रिंगाल, बांस, बेत, स्टोन वास्तुकला, शोफ स्टोन मूर्ति आदि विशिष्ठ कार्यों हेतु उन्हें प्रशिक्षित कर मूलभूत अवस्थापनाओं हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। शिल्पियों द्वारा उत्पादित सामग्री का समुचित वितरण सुनिश्चित करने हेतु विकास खण्ड स्तर से राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले शिल्प मेलों में उत्तरांचल समाज कल्याण बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से स्टाल, शोरूम—इम्पोरियम लगाकर विपणन किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

रुड़की को जिला बनाने की माँग

26—कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक ख—212, दिनांक 13—04—2003 जो कि मुख्यमंत्री को सम्बोधित था, के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार हरिद्वार नगर क्षेत्र की पृथक इकाई घोषित कर, जनहित में, रुड़की को जिला बनाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत—

हरिद्वार एवं रुड़की अलग—अलग जिले बनाये जाने हेतु निर्धारित मानक पूरे नहीं करते हैं। निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा लोक सभा/विधान सभा क्षेत्रों का परिसीमन समाप्त होने तक नई प्रशासनिक इकाइयाँ गठित किये जाने पर रोक लगा रखी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मन्दिर परिसर ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग में भूकम्प से क्षतिग्रस्त 'कोठा' निर्माण का प्रस्ताव

27—श्रीमती आशा नौटियाल—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि मन्दिर परिसर ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग में भूकम्प से क्षतिग्रस्त 'कोठा निर्माण' के लिए प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो कब तक उक्त कोठा का निर्माण प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत—

आपदा राहत कोष की धनराशि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाती है। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियाँ यथा—यातायात, पेयजल योजना, चिकित्सा, बेसिक शिक्षा, ऊर्जा विभाग की परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुनर्निमाण हेतु आपदा राहत कोष से धनराशि अनुमन्य है। मन्दिर परिसर की क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियाँ हेतु आपदा राहत कोष से धनराशि अनुमन्य नहीं है। अतः कोठा निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद टिहरी के प्रताप नगर क्षेत्र में बौंसाड़ी नहर निर्माण पर व्यय एवं पानी उपलब्ध कराने की माँग

28—श्री फूल सिंह विष्ट—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल तहसील प्रतापनगर में बौंसाड़ी नहर का निर्माण कब हुआ तथा इस पर कुल कितना धन व्यय किया गया ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि नहर से सिंचाई क्षमता उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार कृषक हित में उक्त नहर पर सुचारू रूप से पानी चलाये जाने योग्य बनायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री शूरवीर सिंह सजवाण)—

जनपद टिहरी गढ़वाल तहसील प्रतापनगर में बौंसाड़ी नहर का निर्माण वर्ष 1983—84 में किया गया था, जिसके निर्माण पर कुल रु0 17,78,481.00 व्यय किया गया है।

नहर, वर्ष 1994—95 में जलकूर नदी में बादल फटने से हुई अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी।

नहर की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एक योजना, लागत रु0 68.48 लाख की तैयार की गई है जिस पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत यथासमय कार्यवाही की जायेगी।

जनपद टिहरी के प्रताप नगर क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त खम्बाखाल नहर निर्माण का कार्य पूर्ण कराने हेतु धन की माँग

29—श्री फूल सिंह विष्ट—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के खम्बाखाल नहर तहसील प्रतापनगर का निर्माण वर्ष और उस पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

उक्त नहर की सिंचाई क्षमता कितने हेक्टेयर निर्धारित थी तथा उसके सापेक्ष में कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है ?

क्या सरकार इस नहर को कृषकों के हित में पूर्ण कराने के लिए धन आवंटित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

जनपद टिहरी गढ़वाल के खम्बाखाल नहर तहसील प्रतापनगर का निर्माण वर्ष 1986—87 में किया गया था, जिसके निर्माण पर रु0 38,24,357,000 व्यय किया गया था।

उक्त नहर की सिंचाई क्षमता खरीफ में 38 हेक्टेयर एवं रबी में 25 हेक्टेयर निर्धारित है। इसके सापेक्ष वर्तमान में खरीफ एवं रबी में क्रमशः 2—2 हे0 की ही सिंचाई की जा रही है।

नहर में वर्तमान में लगभग 2 कि0मी0 तक पानी चल रहा है, शेष भाग क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। नहर की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण की योजना लागत रु0 67.48 लाख की है।

इस योजना पर कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जायेगा।

जनपद टिहरी के प्रताप नगर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त भरपुर नहर, को ठीक कराने की माँग

30—श्री फूल सिंह विष्ट—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद टिहरी गढ़वाल तहसील प्रतापनगर में भरपुर नहर पिपलोगी गाँव के पास भू—स्खलन से क्षतिग्रस्त है ?

यदि हाँ, तो उक्त क्षतिग्रस्त नहर को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

जी हाँ।

क्षतिग्रस्त नहर को मरम्मत कराने की योजना तैयार करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद टिहरी में प्रताप नगर क्षेत्र के गाँवों की क्षतिग्रस्त गूलों के मरम्मत की कार्य योजना

31–श्री फूल सिंह विष्ट–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील प्रताप नगर के ग्राम खुरमोला–मुखमालगाँव–डागी–गरवाण गाँव सिरवाणें–पिपलोगी–नौगर, स्यासगी–जुलाणगाँव–बौंसाड़ी, मेलुन्ता–गोलाणी–चौधार–मोटना ग्वाड–जणगी, रैका के कृषकों की सिंचाई गूले वर्ष 1994 में और वर्ष 2002 से जलकूर नदी में आई बाढ़ के कारण पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गयी थी ?

यदि हाँ, तो इन क्षतिग्रस्त गूलों की मरम्मत हेतु कोई कार्ययोजना शासन स्तर पर विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

इन क्षतिग्रस्त गूलों की मरम्मत हेतु रु0 27.20 लाख की 13 योजनाऐं तैयार की गई हैं। इसकी स्वीकृति पर वित्तीय व्यवस्था के अनुरूप यथासमय विचार किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

देहरादून के हरिपुरकला मोतीचूर गाँव को बाढ़ से बचाने की माँग

32–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के हरिपुरकला मोतीचूर गाँव के समीप बहने वाली सूखी नदी का जल स्तर गाँव से ऊँचा हो गया है ?

यदि हाँ, तो उक्त गाँव को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

हरिपुरकला गाँव के समीप सूखी नदी का तल लगभग 1.5 से 2.0 मीटर ऊँचा हो जाने के कारण मानसून से जल स्तर प्रायः गाँव से ऊँचा हो जाता है।

समय–समय पर बने हुए बन्ध को ऊँचा किया जाता है। स्थायी हल हेतु नदी का स्तर खुदान व चुगान करके नीचा करना प्रस्तावित है, जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में जोशीमठ के ग्राम सभा लाता में भूमि कटाव रोकने हेतु चैकडैम बनाने की माँग

33–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के ग्राम सभा लाता विकास खण्ड जोशीमठ में धौलीगंगा से हो रहे भूमि का कटाव की रोकथाम किये जाने हेतु चैकडैम बनाया जाना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

उक्त ग्राम में चैकडैम बनाये जाने की वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। इस प्रस्ताव का परीक्षण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के ग्राम झींझी, पाणा, इराणी के वासियों को अन्यत्र विस्थापित करने विषयक

34–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या पुनर्वास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के तहसील चमोली में अवस्थित ग्राम झींझी, पाणा, इराणी के ग्राम वासियों को ग्राम की भूमि का निरन्तर भूस्खलन होने तथा दरारें पड़ने के कारण जानमाल का खतरा होने के फलस्वरूप अन्यत्र विस्थापित किये जाने की कोई कार्यवाही शासन द्वारा की जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक उन्हें विस्थापित किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

आपदा राहत कोष की धनराशि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाती है। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों का अस्थायी आवासीय व्यवस्था ही आपदा राहत कोष से अनुमन्य है। स्थायी पुनर्वास अनुमन्य नहीं है। अतः प्रभावित परिवारों को अन्यत्र विस्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।

हरिद्वार में सरकारी नलकूपों की संख्या उनकी वर्तमान स्थिति एवं उनसे सिंचित भूमि की जानकारी

35–श्री मदन कौशिक–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार में कितने सरकारी नलकूप हैं तथा उनमें से कितने खराब हैं ?

सही स्थिति वाले नलकूपों से कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा रही है?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जनपद हरिद्वार में कुल राजकीय नलकूप 252 नं0 हैं। जिसमें से 11 नलकूप असफल तथा 16 नलकूप परित्याग हेतु प्रस्तावित है। शेष 225 नलकूप चलित हैं। चलित नलकूपों में से 7 नलकूप यांत्रित दोष से तथा 15 नलकूप विद्युत दोष से बन्द हैं।

राजकीय नलकूपों से जनपद में लगभग 13500 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है।

विधान सभा क्षेत्र सितारगंज में चालू वर्ष में दैवीय आपदा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि की जानकारी

36–श्री नारायण पाल–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दैवी आपदा के अन्तर्गत चालू वर्ष में सितारगंज विधान सभा क्षेत्र में कितना पैसा आवंटित किया गया है तथा किन कार्यों हेतु हुआ है कार्य पूर्ण हो गये हैं अथवा नहीं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

वर्ष 2003–04 में जनपद ऊधमसिंह नगर को दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान एवं पेयजल मद में व्यय हेतु रु0 15.00 लाख की धनराशि आवंटित की गई है। जिसमें से विधान सभा क्षेत्र सितारगंज को उक्त मदों में व्यय हेतु रु0 1.00 लाख की धनराशि तहसील सितारगंज को उपलब्ध करा दी गई है।

जनपद ऊधमसिंह नगर के नानक सागर बांध की अतिगृहित भूमि के मुआवजे का भुगतान

37–श्री नारायण पाल–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत है कि जनपद ऊधमसिंह नगर में स्थित नानक सागर बाँध, नानक मत्ता में 3000 एकड़ जमीन गुरूद्वारे की ली गई है ? क्या यह सत्य है कि जब बाँध बन रहा था तब शासन द्वारा उक्त भूमि के मुआवजे के भुगतान का आश्वासन दिया गया था ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भूमि के मुआवजे का भुगतान गुरूद्वारे को कराना सुनिश्चित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

नानक सागर बाँध सिंचाई खण्ड बरेली के द्वारा लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाया गया। यह बाँध अभी भी उत्तर प्रदेश के अधीन है केवल बाँध ऊधमसिंह नगर में स्थित है इसके लगभग सम्पूर्ण जल का उपयोग एवं रखरखाव का कार्य उत्तर प्रदेश के पास है। यदि कोई भूमि के मुआवजे के भुगतान सम्बन्धी आश्वासन हो तो अभिलेख उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास होंगे। इस बारे में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उ0प्र0 शासन से अनुरोध किया जा रहा है।

जनपद चमोली के विकास नगर घाट बाजार को चुफल्यागाढ़ से हो रहे भूमि कटाव को रोकने की योजना

38–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में चुफल्यागाढ़ के कारण विकास नगर घाट बाजार को चुफल्यागाढ़ से होने वाले भूमि कटाव से बचाने के लिए कोई योजना प्रस्तावित है ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

वर्तमान में कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं है। जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में चुफल्यागाढ़ के बहाव से सम्भावित क्षति के दृष्टिगत अति संवेदनशील स्थानों पर वित्तीय वर्ष 2002–03 में सुरक्षात्मक कार्य करा दिये गये हैं।

जनपद ऊधमसिंह नगर में वर्ष 2002 से विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन के वितरण की जानकारी

39–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में वर्ष 2002 से अब तक कितने आवेदकों को विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन वितरित की गयी है ?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जनपद ऊधमसिंह नगर में वर्ष 2002 से अब तक 240 वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन एवं 132 विधवाओं को विधवा पेंशन वितरित की गयी।

विधान सभा क्षेत्र जसपुर में लपकना नदी को गहरा और चौड़ा करने की योजना

40–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि लपकना नदी जो जसपुर विधान सभा क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 74 पर स्थित है, को गहरा और चौड़ा करने की योजना पर कब कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जसपुर कस्बे को जल प्लावन की समस्या से बचाव हेतु लपकना नदी की क्षमता वृद्धि की रु0 32.74 लाख की योजना टी0ए0सी0 द्वारा स्वीकृत है। सीमित संसाधन होने के कारण यथा समय धनावंटन पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद चमोली के मुख्यालय में कब्रिस्तान हेतु भूमि उपलब्ध कराने की माँग

41–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद चमोली के मुख्यालय में कब्रिस्तान के लिए प्रयोग की जा रही भूमि विवादास्पद है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार चमोली में कब्रिस्तान के लिए भूमि उपलब्ध कराये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो किस स्थान पर ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

जी हाँ।

जनपद चमोली के मुख्यालय में ग्राम कोठवाल, पटवारी बृत्त पपडियाणा की सीमान्तर्गत स्थान ऐनाडीबगड़ (अलकापुरी) में उपलब्ध भूमि कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग की जा रही है। यह भूमि वर्तमान में प्रदेश सरकार के नाम बंजर अंकित है। इस भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा यह विवाद पैदा किया गया है कि यह भूमि उनके गोचर पनघट की है। इस सम्बन्ध में दिनांक 2–5–2003 को दोनों समुदायों के साथ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आदेश जारी होने तक विवादित स्थल पर यथास्थिति बनायी रखी जाय और अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति के निधन होने पर उनके शवों को पूर्ववत् वहीं दफनाया जायेगा, लेकिन बाहर से लाया गया कोई शव इस स्थान पर नहीं दफनाया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराहन 3.00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

नारी निकेतन गृह देहरादून की संवासिनी के प्रकरण पर राजस्व मंत्री का त्याग–पत्र

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, सुबह जिस प्रकरण पर इतने लम्बे समय से आपने यह सदन स्थगित रखा और बड़ी कृपा करके आपने कमेटी बनाई, अगर आप इस सदन में इस कमेटी की रिपोर्ट को दे दें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष–

सदन में नारी निकेतन की एक महिला का जो मामला उठा था उस सम्बन्ध में जाँच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हो चुकी है।

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री (डॉ0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से कुछ कहना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपने नारी निकेतन के प्रकरण पर प्रतिपक्ष की एक कमेटी गठित की थी,

कमेटी ने नारी निकेतन में उस सम्बन्धित महिला से बातचीत की है। मान्यवर, मेरी जानकारी में है कि उस महिला ने जो बयान सम्मानित प्रतिपक्ष की कमेटी को दिया है, उसमें उसने मुझ को आरोपित किया है (व्यवधान)

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह आप कैसे कह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धनमंत्री (डॉ0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी सत्य धारणा रही है कि सार्वजनिक जीवन में आदमी को केवल ईमानदार होना ही नहीं चाहिए बल्कि ईमानदार दिखना भी चाहिए, चारित्रिक होना ही नहीं चाहिए बल्कि चारित्रिक दिखना भी चाहिए। मान्यवर, आपकी रिपोर्ट की गहराई में, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ एक अरोप लगा है,

एक आशंका मेरे खिलाफ बनती है। मान्यवर, हम लाखों करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता इस विश्वास से हमको सदन में भेजती है कि हम उसके हितों की रक्षा करेंगे। मान्यवर, मेरी धारणा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में से सबसे सर्वोपरि विधायिका है, क्योंकि यह विधान, नियम, कानून बनाती है, इसलिए मैं इन मूल्यों की रक्षा करने के लिए मंत्रिमण्डल से अपना त्याग–पत्र आपको सौंप रहा हूँ। मान्यवर, मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को अपना त्याग–पत्र लिखा है।

मान्यवर, इसकी प्रतिलिपि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सम्बोधित की है। मान्यवर, मैं आज यह भी घोषणा करता हूँ कि जब तक इस घटना का दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हो जायेगा तब तक मैं इस विधान सभा में प्रवेश नहीं करूँगा। मान्यवर, यह लांछन आज हरक सिंह रावत पर लगा है। मैं यह नहीं देख रहा हूँ कि आज हरक सिंह रावत कटघरें में खड़ा है। मैं आज इस उत्तराखण्ड का भविष्य देख रहा हूँ। मैं यह देख रहा हूँ कि राजनीति कहाँ तक जा सकती है। मान्यवर, यदि मैं इसे राजनीतिक षडयंत्र कहूँ तो मुझे कोई संकोच नहीं है। एक बहुत बड़ी साजिश मेरे खिलाफ की गयी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इन माननीय सदस्यों को और पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि यह तो एक छोटी घटना है, यदि हरक सिंह रावत के दामन पर एक धब्बा भी लगेगा तो मैं उस दिन केवल विधान सभा में प्रवेश करने की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिन्दगी भी नहीं जीऊँगा, आत्महत्या कर लूँगा। मान्यवर, हरक सिंह रावत इस प्रकरण में यदि कहीं दोषी है तो सिर्फ इसलिए कि मेरी पत्नी ने एक निराश्रित महिला की मदद की ।

(श्री हरबंस कपूर के बैठे–बैठे कुछ कहने पर)

कपूर जी आपको तो आज खुश होना चाहिए, दीपावली मनानी चाहिए।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं किसी अमीर घर का या किसी राजनीतिक परिवार का व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने तो जो राजनीतिक जीवन खड़ा किया है, यह छात्र राजनीति के बलबूते पर किया है। मान्यवर, आज ऐसी राजनीतिक परिस्थितियाँ खड़ी कर दी गयी हैं कि मुझे इस्तीफा देना पड़ रहा है। जिस दिन यह साबित हो जायेगा कि मैं दोषी हूँ, मैं जिन्दगी नहीं जीऊँगा, अपने प्राण त्याग दूँगा, लेकिन इतना बड़ा षडयंत्र हो सकता है, यह सुनियोजित तरीके से ऐसा किया जा सकता है, मैने कल्पना भी नहीं की थी। मैं तो स्वयं चाहता हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी हो और मैं इस प्रकरण पर सी0बी0आई0 जाँच की माँग करता हूँ। मान्यवर, मुझे इसमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस प्रकरण में मेरे खिलाफ षडयंत्र रचने में कुछ माननीय सदस्यों के साथ–साथ प्रदेश के मुख्य सचिव भी शामिल हैं, क्योंकि मुख्य सचिव को मैंने एक मामले में डाँट दिया था। मान्यवर, उनकी पत्नी जो "संजीवनी" नामक संस्था चलाती हैं, उनको इस प्रकरण की पूरी जानकारी थी कि यह महिला प्रेगनेन्ट है, इसके पेट में बच्चा है। मान्यवर, क्योंकि मैंने कह दिया है कि मैं विधान सभा में प्रवेश नहीं करूँगा, इसलिए मुझे सुना जाए। मान्यवर, आज ऐसा लगता है कि इस प्रकरण में हरक सिंह रावत का बहुत बड़ा दोष है।

मान्यवर, यह तो किसी के साथ भी हो सकता है। यह राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता होती है एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा तो राजनीति में रहती ही है, लेकिन मुझे इस तरह फँसाया जा रहा है यह ठीक नहीं है। मान्यवर, एक लकीर को मिटाकर दूसरी लकीर बनाना यह मर्यादा नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, भ्रष्टाचार का मामला होता तो उससे आदमी उबर सकता है लेकिन यह तो चरित्र हनन का मामला है। यह बहुत गंभीर बात है। हमारे ऊपर कलंक लगाया जा रहा है। इसमें मुझे फँसाया जा रहा है। जाँच रिपोर्ट में क्या आया या नहीं आया इससे हमारा मतलब नहीं है मैं केवल अपनी बात कह रहा हूँ। इसमें मुझे फँसाया जा रहा है। मान्यवर, मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं आपकी पीठ की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर इसमें मैं दोषी पाया गया तो मैं इस विधान सभा के अन्दर नहीं आऊँगा। मान्यवर, इस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूँ कि बीना सजवाण, पूर्व प्रधान टिहरी और आशा स्नेही ने माह दिसम्बर में, मुझे तिथि तो नहीं मालूम, लेकिन दिसम्बर के अंतिम सप्ताह की बात है, को फोन किया और कहा कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप कल आ जायें और नाश्ता भी हमारे साथ करियेगा। हमने उनको कल 10 बजे बुलाया। वे लोग कल 10 बजे हमारे घर पर आये उनके साथ यह लड़की भी थी। वह ड्राइंगरूम में बैठे। बीना सजवाण और आशा स्नेही ने हमारे साथ नाश्ता किया। यह लड़की बाहर बैठी थी ड्राइंगरूम में। नाश्ता करने के बाद इन लोगों ने कहा कि हमारे साथ एक लड़की आयी है वह हम लोगों को स्टेशन पर मिली। गुप्ता के पी0सी0ओ0 पर। जिनका यमुनोत्री टूर एण्ड ट्रेवेल्स है। उस लड़की ने बताया कि उसे गुप्ता परेशान करता रहता है मैं यहाँ पर असुरक्षित हूँ। मान्यवर, इन लोगों के साथ बैशाखुलाल भी था जिसके एन0जी0ओ0 चलते हैं। इस लड़की ने उससे भी कहा कि मुझे अपनी संस्था में नौकरी लगवा दो क्योंकि यह गुप्ता मुझे परेशान करता रहता है। बीना सजवाण व आशा स्नेही व बैशाखुलाल ये सब विक्टोरिया होटल में आ गये। यह लड़की बीना सजवाण के कमरे में रही। बीना सजवाण ने कहा कि माननीय मंत्री जी इसकी मदद

कर दो। इसकी कहीं नौकरी लगवा दो। मैंने कहा कि सरकारी नौकरी तो मिलती ही नहीं। बीना सजवाण ने कहा कि हम लोग गाँव जा रहे हैं इसको कहाँ ले जाएं। इसकी आप मदद कर दो। बीना सजवाण भावुक हो उठी। जब हमने नौकर से अपनी पत्नी को बुलवाया। मेरी पत्नी ने इन लोगों को मना किया और कहा कि हमारी भी 11 वर्ष की लड़की है उसको तो हम यहाँ नौकरों के सहारे छोड़ते नहीं मैं इसको कहा रखूं। बीना सजवाण व आशा स्नेही के कहने पर मेरी पत्नी ने उसको खाना खिलवाया। उसके पास कपड़े नहीं थे। मेरी पत्नी ने उसको पहनने के लिए स्वेटर दिया। उसने कहा कि मैं अपना सामान लाना चाहती हूँ। मेरी पत्नी खुद गाड़ी में इसके साथ गयी और गुप्ता के यहाँ से सामान लाई। मेरी पत्नी ने उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर के यहाँ फोन करके यह बात बतायी तो उन्होंने कहा कि इसको हमारे यहाँ छोड़ दो। मैं इसको नारी निकेतन भिजवा देती हूँ।

मान्यवर, वह मेरी मिसेज से कहने लगी कि मुझे नारी निकेतन न भेजिये, कहीं मेरी नौकरी लगवा दीजिए। उसने अपने पिता का एक नम्बर बताया था मेरी मिसेज ने कई बार उस नम्बर पर फोन किया, लेकिन वह नम्बर नहीं मिला। मिसेज ने बताया कि मैं उसे नारी निकेतन छोड़ रही हूँ। एडिशनल कमिश्नर, समाज कल्याण ने कहा कि आप भी नारी निकेतन देख लें। मेरी मिसेज उसे नारी निकेतन तक छोड़ने गयी। मान्यवर, वह दिन था और मैं आपकी पीठ की कसम खाकर कह सकता हूँ कि वह दिन और 15 तारीख की शाम जब माननीय गुलाम नबी आजाद जी प्रदेश में आये थे तो किसी पत्रकार ने मुझे फोन पर बताया कि इस तरह किसी लड़की के मामले में आपको फँसाया जा रहा है। मैंने जब अन्य पत्रकार मित्रों से पता किया तो पता चला कि जैनी नाम की लड़की दून अस्पताल में भर्ती है और उसे लड़का हुआ हैं। मैं अन्दर गया कि मिसेज से बात की जाये तो पता चला वो बाजार गई है। मैंने मिसेज के मोबाइल पर फोन किया और कहा कि तुमने जिस लड़की को नारी निकेतन में भर्ती कराया था, उसके बच्चा हुआ है और वह मुझ पर आरोप लगा रही है।

मान्यवर, यह देवभूमि है और इसमें महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। माननीय नारायण दत्त तिवारी की सरकार में जो हमारे बुजुर्ग भी हैं और जिन्होंने पूरे देश को नेतृत्व दिया है, उनकी सरकार में अगर महिलाओं का अपमान होता है तो यह केवल हरक सिंह रावत का नहीं, केवल सरकार का नहीं, बल्कि पूरे उत्तरांचल का अपमान है और पूरी जनता के लिए शर्मनाक है। इसलिए मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है। जब मैंने कहा कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। कल भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कह कर आया हूँ कि हरक सिंह रावत के दामन पर कीचड़ उछला है, जब तक यह साफ नहीं हो जायेगा मैं सदन में नहीं जाऊँगा।

माननीय इन्दिरा जी कह रही थीं कि मैं तीन दिन से खाना नहीं खा रही हूँ। मान्यवर, हरक सिंह रावत का दामन साफ है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है क्योंकि मैंने छात्र राजनीति से लेकर बहुत संघर्ष किया है, बहुत सी जेल यात्राएं की हैं, लेकिन समाज की रक्षा के लिए जेल यात्रा की है, लेकिन मान्यवर, मुझे दुख है कि इस तरह का जो मुझ पर आरोप लगा। मुझ पर यह आरोप तो हमेशा ही लगते रहे कि हरक सिंह रावत

ने किसी अधिकारी की टेबल पलट दी। लेकिन जो आरोप मुझ पर लगा है निश्चित रूप से मैं इस सच्चाई का सामना करूँगा और जिन लोगों ने मेरे खिलाफ षडयंत्र रचा है वह चाहे चीफ सेक्रेटरी क्यों न हो, चाहे सत्ता दल के लोग क्यों न हों, चाहे प्रतिपक्ष के लोग क्यों न हों। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रतिपक्ष और कुछ अधिकारियों के कोप का भोजन मुझे बनना पड़ा है। मान्यवर, इस तरह का षडयंत्र मेरे खिलाफ हो सकता है मैं इससे अनभिज्ञ था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे खिलाफ इस तरह का षडयंत्र हो सकता है।

इसलिए मान्यवर, घाव को भरा जा सकता है नुकसान की भरपाई हो सकती है लेकिन जो मेरे चरित्र पर दाग लगाया गया है, वह मेरी मौत के साथ ही मिटेगा। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि राजनीतिक जीवन में मेरे जैसे आदमी के साथ ऐसा षडयंत्र हो सकता है।

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हरक सिंह रावत ऐसा आदमी नहीं है जो कुर्सी के पीछे भागे। मान्यवर, एक जमाना ऐसा था जब पहाड़ों में कांग्रेस और जनता दल की लहर दौड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी को पूछने वाला कोई कही नहीं था तब मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, उस समय चन्द्र मोहन नेगी जी थे उन्होंने कहा कि मैं पौड़ी से आपको विधायक का टिकट दे देता हूँ तो मैंने कहा कि मैं जिस पार्टी के साथ हूँ उसी के लिए काम करता हूँ। मान्यवर, मैं विधायक पद या मंत्री पद की लालसा नहीं रखता हूँ मेरी तो एक ही लालसा है कि मैं गरीबों की भलाई कर सकूँ। अभी माननीय सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि रावत जी इमोशनल होना राजनीति के लिए ठीक नहीं है। दया की भावना जो मेरे अन्दर है मान्यवर, उसी दया भाव का फायदा उठाकर यह जैनी नाम की लड़की ने मेरे ऊपर दाग लगाया है, मेरी दया भावना ने मेरे ऊपर यह दाग लगाया है, जब तक मैं जिन्दा रहूँगा मैं इसी दया के साथ और सच्चाई का साथ देते हुए अन्तिम सांस तक गरीबों की भलाई करता रहूँगा। मंत्री के रूप में भले ही न कर सकूँ, विधायक के रूप में भले न कर सकूँ लेकिन हरक सिंह रावत के रूप में, इस प्रदेश की, देश की जनता की सेवा करता रहूँगा। मान्यवर, हमने हमेशा भलाई का कार्य किया है उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण में भी मैंने अपना पूरा योगदान दिया है, मैं उन दिनों पौड़ी से विधायक था, माननीय काशी सिंह ऐरी जी यहाँ पर बैठे हैं वे भी जानते होंगे 2 अक्टूबर को जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था तो मैंने 19 पुलिस बैरियरों को तोड़कर लोगों को सुरक्षित दिल्ली पहुँचाया था, हमने उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण इसलिए किया था कि महिलाओं के हितों की रक्षा यहाँ पर हो सके, प्रदेश के किसानों की गरीबों की समस्यायें हल होंगी।

मान्यवर, मुझे यह मालूम नहीं था कि जो नारे आज मैं दे रहा हूँ 'आज दो अभी दो उत्तराखण्ड राज्य दो', 'बद्रीकेदार की यही आवाज, उत्तराखण्ड हमारा है'। मुझे यह पता नहीं था कि ये नारे बाद में मेरे लिए, हरक सिंह रावत के लिए अभिशाप बनेंगे। मुझे यह भी पता नहीं था कि हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाले के खिलाफ ऐसा षडयंत्र रचा जायेगा। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि "क्या हुआ अगर मर गये सच्चाई के वास्ते, बुलबुले भी तो मरते हैं, चमन के वास्ते" इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द जय उत्तराखण्ड।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैने प्रातः काल भी कहा था कि हमारा उद्देश्य किसी के चरित्र पर आरोप लगाना नहीं है। जब से हमारे सामने यह प्रकरण आया है, हमने पूरा प्रयास किया कि इसमें किसी व्यक्ति का नाम न आये। लेकिन जिस प्रकार से अभी माननीय मंत्री जी ने अपनी वेदना कही है और जो भाव व्यक्त किये हैं, उसके प्रति सहानुभूति हो सकती है और होनी भी चाहिए। माननीय मंत्री जी के बयान से कुछ गम्भीर बातें सामने आयी हैं। मान्यवर, आप इस गरिमामय पीठ पर रह कर इस सम्बन्ध में निर्णय ले सकते हैं, कल आपने इस प्रकरण को जिस गम्भीरता से लिया, उससे आपकी गरिमा बढ़ी है। माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में बताया कि इसके लिए प्रशासन दोषी है और अपने खिलाफ राजनीतिक षडयंत्र की बात भी माननीय मंत्री जी ने कही। कल जब प्रतिपक्ष के सामने यह प्रकरण आया, तो पहले तो हमने इसको गम्भीरता से नहीं लिया, जब लोगों ने हमसे कहा कि यह महत्वपूर्ण विषय है तो हमने कहा कि इस सम्बन्ध में हमारे विधायक मिलने जायेंगे और सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, यह एक चिन्ता का विषय है, कल अधिकारियों द्वारा हमें गुमराह किया गया और हम दो घन्टे तक माननीय मुख्यमंत्री जी को लोकेट नहीं कर पाये। हमें मजबूर होकर यह कहना पड़ा कि हम घर जा रहे हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी आ जायेंगे तब हम उनसे मिलेंगे।

मान्यवर, दो घन्टे तक माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकेशन भी पता न चल पाना और माननीय मंत्री जी का यह कहना कि उनके खिलाफ राजनीतिक षडयंत्र किया गया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। माननीय मंत्री जी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों पर भी शंका व्यक्त की है, एक प्रकार से उन्होंने लांछन लगाया है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा सत्ता पक्ष के लागों पर आरोप लगाने से एक बात तो स्पष्ट हो गयी है कि आज इस प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। मैं यह नहीं कहता कि प्रतिपक्ष के लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते, हो सकता है प्रतिपक्ष का भी कोई सदस्य दोषी हो। मान्यवर, कल जब यह प्रकरण हमारे सामने आया तो हम इस विषय पर चटखारे ले रहे थे, लेकिन आपने निर्देश दिया था कि यह बहुत गंभीर विषय है। सबसे अहम बात तो अब यह है कि इस प्रकरण के बाद शासन को सत्ता में बने रहने का अधिकार है या नहीं ? मान्यवर, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय मंत्री जी के बयान से लग रहा है कि इसमें मुख्य सचिव और सत्ता पक्ष के कुछ लोगों का षडयंत्र है। जब हमारे उच्चाधिकारी ही इस प्रकार के प्रकरणों में लिप्त हैं, तो मैं नहीं समझता कि आज हमारा प्रदेश सुरक्षित है। मेरा आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देशित करें कि या तो वह इस सम्बन्ध में कोई बयान दें या फिर इस्तीफा दे दें।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रकरण की जाँच रिपोर्ट आ गयी है और सारी बातें मेरे संज्ञान में हैं। मैं इस रिपोर्ट को आवश्यक कार्यवाही के लिए शासन के पास भेज रहा हूँ।

(घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य खड़े होकर एक साथ कहने लगे कि इस मामले में सरकार को इस्तीफा देना चाहिए)

श्री अध्यक्ष–

अब हम कल पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही अपरान्ह 3 बजकर 40 मिनट पर गुरुवार दिनांक 19–6–2003 अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हो गई)

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तरांचल।

देहरादून :
18 जून, 2003

ार0ई0) 20 विधान सभा/260–01–10–2003–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।